रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062024-254600 CG-DL-E-07062024-254600

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 398] No. 398] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 6, 2024/ज्येष्ठ 16, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 6, 2024/JYAISHTHA 16, 1946

### भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2024

फा. सं. एच आर-12012/1/2022- एच आर -एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक (अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें) विनियम,2013 में और आगे संशोधन, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों अर्थात खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्याक 34) की धारा 9 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 92 की उप - धारा (2) के खंड (क) का प्रयोग करते हुए प्रकाशित किया जाता है। यह प्रकाशन कथित अधिनियम के खंड 92 के उप - खंड (1) के तहत इनसे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए है और एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से तीस दिनों की अविध समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएगी।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा <u>regulation@fssai.gov.in</u> पर ई-मेल से भेजा सकता है।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सूझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

3420 GI/2024 (1)

#### प्रारूप विनियम

- 1. इन विनियमों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन विनियम, 2024 कहा जा सकता है।
- 2. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें) विनियम, 2013 (इसमें इसके पश्चात कथित विनियमों के रूप में संदर्भित) में,
  - (1) "परिभाषाओं" से संबंधित विनियम 2 में-
    - (क) नियुक्ति अधिकारी से संबंधित उप-विनियम (छ) में-
      - (i) धारा (i) में " 10,000/- रुपए या इससे अधिक के ग्रेड वेतन वाले " के शब्दों और अंको के स्थान पर, "7 वें सीपीसी पे मैट्रिक्स के अन्तर्गत वैतनिक स्तर 14 वाले" शब्दों और आकृतियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा:
      - (ii) धारा (ii) में "10,000 से न्यून ग्रेड वेतन वाले" के शब्दों और अंको के स्थान पर "7 वें सीपीसी पे मैट्रिक्स के अन्तर्गत 14 से कम वैतनिक स्तर" शब्दों और अंको से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
      - (iii) धारा (iii) में "मुख्य प्रबंध सेवा अधिकारी" के शब्दों के स्थान पर "कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन)" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
    - (ख) "अनुशासनिक प्राधिकारी" की परिभाषा से संबंधित उप-विनियम (ज) में,-
      - (i) धारा (i) में "10,000/- रुपए" के शब्दों और अंको के स्थान पर "7 वें सीपीसी पे मैट्रिक्स के अन्तर्गत वैतनिक स्तर 14" के शब्दों और अंको से प्रतिस्थापित किया जाएगा:
      - (ii) धारा (ii) में "10,000/- रुपए" के शब्दों और आकृतियों के स्थान पर "7 वें सीपीसी पे मैट्रिक्स के अन्तर्गत 14 से कम वैतनिक स्तर" के शब्दों और अंको से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
      - (iii) खंड (iii) में "मुख्य प्रबंध सेवा अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन)" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएगा;
    - (ग) उप-विनियम (ज) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात,-

## "(जक) "अपीलीय प्राधिकारी" का अर्थ है, -

- (i) 7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर 14 या उससे ऊपर के वेतन स्तर वाले समूह 'ए' पदों के समकक्ष सभी पदों, जिनमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी सम्मिलित नहीं हैं, के संबंध में, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय;
- (ii) 7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स में 14 से कम वेतन स्तर वाले समूह 'ए' के समकक्ष सभी पदों के संबंध में प्राधिकरण के अध्यक्ष;
- (iii) समूह 'बी' के समकक्ष सभी पदों के संबंध में प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और
- (iv) समूह 'सी' के समकक्ष सभी पदों के संबंध में प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन) ";
- (घ) उप-विनियम (ट) को विलोपित किया जाएगा;
- (इ) उप-विनियम (ह) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाए, अर्थात्, -
  - "(ण) 'इस्तीफा' से अभिप्रेत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट से है;
- (त) 'तकनीकी इस्तीफा' से अभिप्रेत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट से है।"
- (2) "सेवा की शर्तें" से संबंधित विनियम 3 में, -
  - (क) "सेवा की अन्य शर्तो" शब्दों के बाद, "ग्रेच्युटी, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ सहित" शब्द जोड़े जाएँगे;
  - (ख) मौजूदा परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्, -

"परंतु यह भी कि खाद्य प्राधिकरण द्वारा चिकित्सा, आवास या किसी अन्य सुविधाओं/भत्तों के लिए अलग से ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं. जिन्हें वह उचित समझे।":

- (ग) विनियम 3 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाए, अर्थात्, -
  - "(3 क) "प्राधिकरण की सेवाओं से इस्तीफा" इस्तीफा स्पष्ट और बिना शर्त होना चाहिए। अस्थायी कर्मचारी (परिवीक्षाकर्ता) इस्तीफे से पहले एक महीने का नोटिस देगा या इस्तीफे के समय एक महीने के वेतन की राशि जमा करेगा और नियमित कर्मचारी इस्तीफे से पहले तीन महीने का नोटिस देगा या इस्तीफे के समय तीन महीने के वेतन की राशि जमा करेगाः

परंतु यह कि नियमित कर्मचारी के मामले में सक्षम प्राधिकारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश या दिशानिर्देश या ज्ञापन के अनुसार पद पर ग्रहणाधिकार बनाए रखने के संबंध में निर्णय लेगा।

परंतु यह भी कि सक्षम प्राधिकारी यदि उचित समझे तो नोटिस अवधि या वेतन जमा करने से छट दे सकता है।"

- (3) विनियम 4 के उप-विनियम (3) का विलोप किया जाएगा।
- (4) "व्यावृति खंड" से संबंधित विनियम 8 में "अन्य पिछड़े वर्ग" शब्दों के बाद "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" शब्द जोड़े जाएँगे।

जी. कमलावर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी [विज्ञापन-III/4/असा./165/2024-25]

नोट: मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा.सं. ए-21021/01/ 2010-प्रशा.एफएसएसएआई, दिनांक 24 जलाई, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

# FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2024

**F. No. HR-12012/1/2022-HR-FSSAI.**—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards Authority of India (Salary, Allowances and other Conditions of Service of officers and Employees) Regulations, 2013, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 92 read with sub-section (3) of section 9 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as requiredunder sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in

Objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of period so specified, shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

#### **Draft Regulations**

- 1. These regulations may be called the Food Safety and Standards Authority of India (Salary, Allowances and other Conditions of Service of officers and Employees) Amendment Regulations, 2024.
- 2. In the Food Safety and Standards Authority of India (Salary, Allowances and other Conditions of Service of officers and Employees) Regulations, 2013, (herein after referred as said regulations),

- (1) in regulation 2 relating to "Definitions",
  - a. in sub-regulation (g) relating to "appointing authority",
    - i. in clause (i), for the words and figures "Grade Pay of Rs. 10,000", the words and figures "Pay Level of 14 in the 7th CPC Pay Matrix" shall be substituted.
    - ii. in clause (ii), for the words and figures "grade Pay of less than Rs. 10,000", the words and figures "Pay Level less than 14 in 7th CPC Pay Matrix;" shall be substituted;
    - iii. in clause (iii), for the words "the Chief Management Services Officer", the words "the Executive Director (HR)" shall be substituted";
  - b. in sub-regulation (h) relating to definition of "disciplinary authority", -
    - (i) in clause (i), for the words and figures "Grade Pay of Rs. 10,000", the words and figures "Pay Level of 14 in the 7th CPC Pay Matrix" shall be substituted.
    - (ii) in clause (ii), for the words and figures "Grade Pay of less than Rs. 10,000", the words and figures "Pay Level less than 14 in 7th CPC Pay Matrix;" shall be substituted;
    - (iii) in clause (iii), for the words "the Chief Management Services Officer", the words "the Executive Director (HR)" shall be substituted;
  - c. after sub-regulation (h), following sub-regulation shall be inserted, namely,-"(ha)

#### "appellate authority" means,-

- The Secretary, Ministry of Health and Family Welfare in respect of all posts equivalent to Group 'A' posts carrying the Pay Level of 14 in 7<sup>th</sup> CPC Pay Matrix or above but does not include the Chief Executive Officer;
- ii. The Chairperson of the Authority in respect of all posts equivalent to Group 'A' carrying the Pay Level less than 14 in the 7<sup>th</sup> CPC Pay Matrix;
- iii. The Chief Executive Officer of the Authority in respect of all posts equivalent to Group 'B' and
- iv. The Executive Director (HR) of the Authority in respect of all posts equivalent to Group 'C' ";
- d. sub-regulation (k) shall be omitted;
- e. after sub-regulation (n), following sub-regulation shall be inserted, namely,-
  - "(o) 'Resignation' means as specified by the Department of Personnel & Training from time to time:
  - (p)'Technical Resignation' means as specified by the Department of Personnel & Training from time to time."
- (2) in regulation 3 relating to "Conditions of Service",-
  - a. after the words "condition of services", the words "including gratuity, pension andretirement benefits" shall be inserted;
  - b. after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely,-
    - "Provided further that separate provisions may be made by the Food Authority for themedical, housing or any other facilities/allowances that it deems fit.";
  - c. after regulation 3, the following regulation shall be inserted, namely,-
    - "(3A) "Resignation from the services of Authority"- A resignation has to be clear and unconditional. A temporary employee (probationer) will give a notice of one month before resignation or deposit amount of one month pay at the time of resignation and a regular employee will give a notice of three months before resignation or deposit amount of three months' pay at the time of resignation:

Provided that in case of regular employee, the Competent Authority will take decision on retaining lien to the post as per Department of Personnel & Training order or guidelines or memorandum issued from time to time.

Provided further that competent authority may waive off the notice period or deposition of pay, if he thinks fit.".

- (3) Sub-regulation (3) of regulation 4 shall be omitted.
- (4) in regulation 8 relating to "Saving clause", after the words "Other Backward Classes", the words "Economically Weaker Sections" shall be inserted.

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./165/2024-25]

**Note:** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification number F. No. A-21021/01/2010-Admn.FSSAI, dated the 24<sup>th</sup> July, 2013.